

प्रेषक,

हरिराज किशोर
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

व.सं.सू.का.अ. (प्रशि.प)

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2

कार्यालय-यु०का०अ०
आपरी संख्या..... 58
दिनांक..... 29-4-13 ..

26/4/13
स.का.अ.

लखनऊ : दिनांक 24 अप्रैल, 2013

विषय:- उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की वित्तपोषित इकाईयों के लाभार्थियों हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

गहोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमियों को वित्तपोषण से पूर्व प्रशिक्षित करने हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रु० 50.00 लाख (रुपये पचास लाख मात्र) में से पचास प्रतिशत धनराशि रु० 25.00 लाख (रुपये पच्चीस लाख मात्र) संलग्न फांट के अनुसार निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ०प्र० के निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि का व्यय बोर्ड की अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार ही किया जायेगा।

2. उक्त धनराशि का व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 में दिये गये निर्देशों तथा उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड समय-समय पर शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन प्रभारी, मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि का मासिक व्यय प्रभारी, मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र अधिकारियों द्वारा प्रपत्र बी०एम०-8 में दो प्रतियों में शासन व सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ०प्र० शासन को प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अनुसार शासन को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

5. उक्त धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद या उनके द्वारा मनोनीत अन्य किसी अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्ट्रोलर एवं आडिटर जनरल भारत सरकार या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के उपलब्ध रहेगा।

6. उपर्युक्त मद में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 की अनुदान संख्या-5 के लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनेत्तर-105-खादी ग्रामोद्योग-11-खादी बोर्ड की वित्तपोषित इकाईयों को व्यवहारिक प्रशिक्षण (जिला योजना)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन)" के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामें डाला जायेगा।

श्री दिवेदी

29/4/13

पेज.....2/

7 यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 में की गयी व्यवस्थानुसार निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय,

(हरिराज किशोर)
प्रमुख सचिव

संख्या:- 227 (1)/59-2-2013/तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
- ✓ 6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
7. जिलाधिकारी/प्रभारी, मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, बहराइच, इलाहाबाद, जालौन, शाहजहाँपुर, मथुरा, बिजनौर।
8. एन0आई0सी0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा/से,

(हरिराज किशोर)
प्रमुख सचिव

शासनादेश संख्या - २२७/५९-२-२०१३ दिनांक २५/५/२०१३ का संलग्नक

व्यवहारिक प्रशिक्षण योजना वर्ष २०१३-१४ (आयोजनेत्तर) हेतु वित्तीय स्वीकृति

क्रमांक	केन्द्र का नाम	धनराशि (लाख ' में)	प्रशिक्षार्थियों की संख्या
१	२	३	४
१	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, डालीगंज, लखनऊ	४.००	१००
२	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, खजनी, गोरखपुर	२.००	५०
३	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, बहराइच	२.००	५०
४	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, अनुआं, इलाहाबाद	२.००	५०
५	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, आहोपट्टी, आजमगढ़	२.००	५०
६	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, रतनपुरा, मऊ	२.००	५०
७	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, कालपी, जालौन	३.००	७५
८	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, पिपरौला, षाहजहांपुर	३.००	७५
९	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, अडिग, मथुरा	२.००	५०
१०	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, नजीबाबाद, बिजनौर	३.००	७५
	योग	२५.००	६२५

(रुपये पच्चीस लाख मात्र)

(हरिराज किशोर)
प्रमुख सचिव